5. अस्पस्ट संवेधानिक प्रावधान : - अमेरिकी संविधान और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की ताकत का साफ जिक्र नहीं करते। यही वजह है कि एक और वीटो ट्रिक का विकल्प मिलता है। इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। खास परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधेयक को "अपनी पॉकेट" में डाल सकता है। संसद इस वीटो को पलट नहीं सकती। अमेरिका में यह ट्रिक अब तक 1,000 से ज्यादा बार इस्तेमाल की जा चुकी है।

6. काम के निर्देश : राष्ट्रपति सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने के निर्देश दे सकता है। इस ताकत को "एक्जीक्यूटिव ऑर्डर्स" कहा जाता है। यह कानूनी रूप से बाध्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति निरंकुश हो जाए। अदालत और कॉन्ग्रेस ऐसे आदेश के खिलाफ कानून बना सकती है।

7 .सीनेट की मंजूरी : अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही किसी भी देश के साथ संधि कर ले, लेकिन उसे कानूनी मंजूरी सीनेट की दो तिहाई सहमति के बाद ही मिलती है। इसे "एक्जीक्यूटिव एग्रीमेंट्स" कहा जाता है।

8 .सेना की कमान : अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका सेना का कमांडर इन चीफ भी होता है, लेकिन युद्ध का घोषणा संसद ही कर सकती है। राष्ट्रपति कैसे संसद की मंजूरी लिये बिना हिंसाग्रस्त इलाकों में सेना भेज सकता है, इस बारे में बहुत साफ संवैधानिक निर्देश नहीं हैं। वियतनाम युद्ध के समय ऐसी ही संवैधानिक चुनौती सामने आई।

9. महाभियोग : अगर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग करता है या कोई अपराध करता है, तो हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब तक ऐसा दो बार हुआ है और दोनों ही बार नाकाम रहा। लेकिन राष्ट्रपति को नियंत्रित करने के लिए कुछ इससे भी कड़े तरीके हैं। संसद के पास बजट अधिकार है। उसकी सहमति के बाद ही राष्ट्रपति के पास खर्च करने के लिए पैसा होगा।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संसार का सबसे शक्तिशाली राजनितिक पद है जो सरकार एवं राज्य दोनों का अध्यक्ष है। प्रसिद्ध लेखक लास्की के अनुसार ,' अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख है। वह राष्ट्र के मनोनीत नेता है और इसलिए उसे नाजुक एवं थकान वाले कार्य करने पड़ते है। कोई आश्चर्य नहीं कि यदि यह कहा जाय कि अपनी शक्ति के क्षेत्र मे अपने प्रभाव के महत्व से , और अपने प्रधानमंत्री होने तथा एक महान् राष्ट्र के सर्वोच्च होने के कारण उसकी स्थिति अद्‌वितीय है ।'